

परिशिष्ट—एक

(देखिए पैरा 3 (क))

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी

1. अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा।
2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है , अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किए जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि, भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों, (खात्मा), वापस ले लिए गए हों, या उनमें उनमें अन्ततः दोषमुक्त हो गई हो या समझौता कर लिया गया हों,
3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।

-
1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) कुलनाम (सरनेम)..
..... नाम.....तथा उपनाम, यदि कोई हों (यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम का कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हों तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)
-

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, पता, तथा जिला, या घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हों)
-

3. (क) घर का पूरा पता क.
(अर्थात् ग्राम, घाना तथा जिला
या घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क

तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हों)

- (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख. ख.

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों.

से	तक	निवास का पूरा पता(अर्थात् ग्राम, पता, तथा जिला, या घर क्रमांक गली (मार्ग) सड़क तथा नगर	पुर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान के जिला-मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हों.
(1)	(2)	(3)	(4)

5. पिता का

(क) पूरा नाम तथा उपनाम यदि हो(क)

(ख) वर्तमान डाक-पता.....(ख)
(यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए).....

(ग) घर का स्थायी पता(ग)

- (घ) व्यवसाय(घ)
- (झ) यदि किसी सेवा में हो तो(झ)
उनका पदनाम तथा कार्यालय
का पता दीजियें.

6. (एक) नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता

- (क) पिता (क)
- (ख) माता (ख)
- (ग) पति/पत्नि (ग)
- (घ) उम्मीदवार (घ)
- (दो) पति/पत्नि का जन्मस्थान (इ)

7. (क) जन्म तारीख (क)
- (ख) वर्तमान आयु (ख)
- (ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु (ग)

8. (क) जन्मस्थान , जिला तथा राज्य(क)
जिसमें वह स्थित हों
- (ख) वह जिला तथा राज्य जहां के(ख)
आप निवासी है.

9. (क) आपका धर्म (क)
- (ख) क्या आप अनुसूचित जाति (ख)
अनुसूचित आदिम जाति के
सदस्य है हां या नहीं में उत्तर
दीजिए और यदि आपका उत्तर
हां में हो तो उस जाति विशेष
का नाम लिखिए.

10. शैक्षणिक अर्हताएं :-

वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए
जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों
में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हों.

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा

11. यदि आप कभी नियोजित रहें हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए:-

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि		कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने के कारण
	से	तक		

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है/आप पर जुर्माना किया गया है क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है। उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है।

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लम्बित है ? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हां में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी,, निरोध,जुर्माने, दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए. इस जानकारी के अतिरिक्त, जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे:-

1. अपराध/आरोप
2. पुलिस थाने में पंजीयित
3. यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम
4. मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया
5. दिया गया दंड
6. क्या दोषमुक्त कर दिया गया ?
7. दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था।

टिप्पणी :- अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीखस्थान

आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी
व्यक्तियों या दो निदेशियों के नाम,
जो आपको जानते हों

- 1
- 2

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही और पूरी हो है मैं ऐसी किन्ही भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हों मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना किए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....स्थान

पदनाम—प्रमाण—पत्र

(प्रमाण—पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए) :-

1. केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित आधिकारी,
2. संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य,
3. सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/आधिकारी,

4. तहसीलदार या नायब/उप-तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हों,
5. शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं प्रधानाचार्य तथा प्रमुख,
6. खण्ड विकास अधिकारी,,
7. पोस्ट मास्टर
8. पंचायत निरीक्षक,

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति का नाम श्रीको पिछलेवर्षमाह से जानता हूँ तथा उसके द्वारा दिए गए ब्यौरे, मैं किसी भी प्रकार की असत्यता प्राप्त होती है तो उसके लिए मैं दण्डनीय कार्यवाही हेतु भागीदार होऊंगा/होऊंगी ।

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर
पदनाम या स्थिति तथा पता

.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

- नियुक्ति प्राधिकारी का नाम
पदनाम और पूरा पता
- वह पद, जिसके लिए उम्मीदवार
के संबंध में विचार किया जा रहा है.